


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2016/वैशाख 22, 1938

No. 197]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2016/VAISAKHA 22, 1938

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना**

हैदराबाद, 4 मई, 2016

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम)
विनियम, 2016**

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/13/125/2016. – बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 29(3)(ए) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (आईबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. (1) परिभाषाएँ – इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
- ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

- ग) "अधिकारी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (59) में परिभाषित अधिकारी अभिप्रेत है, परंतु गैर-पूर्णकालिक निदेशक इसमें शामिल नहीं है;
- घ) "पूर्णकालिक कर्मचारी" से बीमाकर्ता के सभी कर्मचारी अभिप्रेत हैं तथा बीमाकर्ता के अधिकारी इसमें शामिल हैं।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999(1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम

3. कोई भी बीमाकर्ता किसी अधिकारी, जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, को कोई ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम अधिनियम की धारा 29 (1) के अंतर्गत की गई व्यवस्था को छोड़कर संपत्ति के दृष्टिबंधक पर अथवा वैयक्तिक जमानत पर अथवा अन्य प्रकार से प्रदान नहीं करेगा।
4. कोई भी बीमाकर्ता अपने पूर्णकालिक कर्मचारियों को कोई ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम अधिनियम की धारा 29 (1) के अंतर्गत की गई व्यवस्था को छोड़कर संपत्ति के दृष्टिबंधक पर अथवा वैयक्तिक जमानत पर अथवा अन्य प्रकार से प्रदान नहीं करेगा; बशर्ते कि बीमाकर्ता अपने पूर्णकालिक कर्मचारियों को केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम प्रदान कर सकता है:
- कार और / या दुपहिया वाहन खरीदने के लिए ऋण;
 - निजी कंप्यूटर खरीदने के लिए और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन खरीदने के लिए ऋण;
 - फर्नीचर खरीदने के लिए ऋण;
 - निजी उपयोग के लिए आवास का निर्माण करने / अधिग्रहण करने के लिए ऋण;
 - कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण;
 - त्योहार के लिए अग्रिम;
 - बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा इस संबंध में अनुमोदित नीति में विनिर्दिष्ट रूप में कोई अन्य प्रयोजना।

परंतु आगे यह भी शर्त होगी कि एक पूर्णकालिक कर्मचारी द्वारा लिये गये सभी ऋणों को एकसाथ लेने पर उनकी कुल राशि एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी तथा उसे कर्मचारियों के नियत पारिश्रमिक के साथ संबद्ध किया जाएगा।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति

5. अपने कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम प्रदान करनेवाले प्रत्येक बीमाकर्ता के पास उपर्युक्त ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम प्रदान करने के लिए उसके निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक योजना होगी।

शर्तें

6. विनियम 4 में उल्लिखित ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे
- (1) उक्त ऋण और अग्रिम निदेशक बोर्ड अथवा बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति जिसे इस प्रकार शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों, जैसी स्थिति हो, द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति / पारिश्रमिक नीति के अनुसार क्षतिपूर्ति / पारिश्रमिक पैकेज का भाग बनेंगे।
 - (2) ऐसे ऋणों अथवा अग्रिमों की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि बोर्ड अथवा बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति जिसे ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों, द्वारा अनुमोदित हों।
- बशर्ते कि पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिये जानेवाले ऋण अथवा अस्थायी अग्रिमों पर लगाई जानेवाली ब्याज-दर बीमाकर्ता के अपने कर्मचारियों को दिये जानेवाले ऋणों अथवा अस्थायी अग्रिमों पर लगाई जानेवाली ब्याज-दर से निम्नतर नहीं हो सकती।

(3) इस प्रकार के सभी ऋण और अग्रिम, उपलब्ध शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

अंतर्वर्ती उपबंध

7. वर्तमान में बकाया ऋणों अथवा अस्थायी अग्रिमों की शर्तों की समीक्षा बीमाकर्ता के विवेक पर इन विनियमों के आलोक में की जा सकती है ताकि संक्रमण के दौरान उत्पन्न होनेवाली समस्याओं का समाधान किया जा सके।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

8. इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असा./79]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 4th May, 2016

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Loans or Temporary advances to the Full-time Employees of the Insurers) Regulations, 2016

F.No. IRDAI/Reg/13/125/2016.- In exercise of the powers conferred by clause (ib) of sub-section (2) of Section 114A read with Section 29 (3) (a) of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely:

1. Short title and commencement.—

- (1) These Regulations may be called as Insurance Regulatory and Development Authority of India (Loans or Temporary advances to the Full time Employees of the Insurers) Regulations, 2016;
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette

2. (1) Definitions.-In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

- a) **“Act”** means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- b) **“Authority”** means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
- c) **“Officer”** means an officer defined in Section 2 (59) of the Companies Act, 2013 but does not include non whole-time director;
- d) **“Full time Employees”** means all employees of the insurer and includes Officers of the insurer.

- (2) All words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938(4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or Rules or Regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules or Regulations.

Loans or Temporary Advances

3. No insurer shall grant any loans or temporary advances to any officer who is not a whole-time Director either on hypothecation of property or on personal security or otherwise except as provided under Section 29 (1) of the Act.

4. No insurer shall grant any loans or temporary advances to its full-time Employees either on hypothecation of property or on personal security or otherwise, except as provided under Section 29 (1) of the Act;

Provided that an Insurer may grant the loans or temporary advances to its full time Employees only for the following purposes:

- a. Loan for purchasing of car and / or two wheeler;
- b. Loan for purchasing of personal computer and for other electronic devices;
- c. Loan for purchasing of furniture;
- d. Loan for constructing/acquiring a house for personal use;
- e. Loans for education of the children of the employees
- f. Advance for Festival;
- g. Any other purpose as may be specified in the policy in this regard approved by the Board of the Insurer.

Provided further that the aggregate of all loans taken together by a full time employee shall not exceed rupees one crore and shall be linked to the fixed remuneration of the employees.

Board Approved Policy

5. Every Insurer who grants loans or temporary advances to its employees shall have in place a scheme duly approved by its Board of Directors for the grant of the above said loans or temporary advances.

Terms and Conditions

6. The loans or temporary advances stated in regulation 4 shall be subject to the following conditions
- (1) The loans and advances shall form part of the compensation /remuneration package in accordance with the compensation / remuneration policy approved by the Board of Directors or by the Nomination and Remuneration Committee of the Board to which powers have been so delegated, as the case may be.
 - (2) The terms and conditions of such loans or advances shall be such as may be approved by the Board or by the Nomination and Remuneration Committee of the Board to which such powers have been delegated.
Provided that the interest rate charged on loan or temporary advances to whole-time Directors and other officers cannot be lower than the rate charged on loans or temporary advances to the insurer's own employees.
 - (3) All such loans and advances shall not be admissible for Available Solvency Margin.

Transitory Provisions

7. The terms and conditions of the loans or temporary advances which are currently outstanding may, at the insurer's discretion, be reviewed in the light of these Regulations in order to address transition issues, as may arise.

Power to remove Difficulty

8. In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty./79]